प्रशासन ने शासकीय जमीनों के संरक्षण की नीमच में की बड़ी कार्रवाई

▸ **लगभग 38 करोड़ के बाजार मूल्य की 4.9 हेक्टेयर जमीन को करवाया अतिक्रमण मुक्त**

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा जिले में शासकीय जमीनों के संरक्षण एवं शासकीय जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार न.पा.नीमच , राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने प्रभावी कार्रवाई कर नीमच शहर के डाक बंगला रोड़ पर लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने स्थित खेत नम्बर 10 और बगीचा नम्बर 38 की बहुमूल्य जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाकर, न.पा.के आधिपत्य में लिया गया है और न.पा.के आधिपत्य का सूचना बोर्ड लगाकर अतिक्रमण मुक्त करवाई गई उक्त जमीन पर न.पा.नीमच द्वारा संरक्षित करने के लिए प्रीकास्ट की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया रहा है।

शुक्रवार को नीमच शहर में अतिक्रमण हटाने की इस कार्यवाही के दौरान जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री पराग जैन, न.पा.नीमच की सीएमओ श्रीमती दुर्गा बामनिया, सीएसपी नीमच, तहसीलदार संतोष कुमार एवं श्री संजय मालवीय सहित राजस्व, न.पा.एवं पुलिस अमला मौजूद था।तहसीलदार संजय मालवीय ने उक्त जानकारी देते हुए बताया, कि नीमच शहर में अतिक्रमण मुक्त करवाई गई इस जमीन का उपयोग शहर हित में विभिन्न विकास कार्यों और प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किया जावेगा। उन्होने बताया, कि शुक्रवार को अतिक्रमण मुक्त करवाई गई 4.9 हेक्टेयर जमीन शहर के मध्य में प्राईम लोकेशन पर होने से इसका बाजार मूल्य लगभग 38 करोड़ रूपये बताया जा रहा है। ज्ञातव्य हो, कि जिला प्रशासन द्वारा 30 दिसम्बर 2025 को नीमच शहर में राजस्व, न.पा. एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न 5 स्थानों पर से 42 करोड़ रूपये मूल्य की 6.05 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाकर, न.पा.नीमच द्वारा अपने आधिपत्य में लिया गया है।

पुलिस ने 150 भारी वाहनों पर लगाए रेडियम, सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत

▸ **एसपी बोले- हुड़दंगियों पर भी रहेगी पैनी नजर**

नीमच। नीमच में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हो गया है। यह अभियान 'सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा' थीम पर पूरे जनवरी माह तक चलेगा। एसपी अंकित जायसवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस सड़क हादसों को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।

गुरुवार को यातायात पुलिस ने करीब 100 से 150 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और ट्रकों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए। पुलिस का कहना है कि रात के समय सड़क पर चलने या खड़े भारी वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं होने से हादसे होते हैं। रेडियम लगाने से वाहन दूर से दिखाई देंगे और हादसों में कमी आएगी। अभियान के दौरान पुलिस ने साफ किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों, बुलेट बाइक से पटाखे जैसी आवाज निकालने वालों, स्टंट करने वालों और नाबालिग वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की जा रही है और नियम तोड़ने वालों के मामले सीधे न्यायालय में भेजे जा रहे हैं।

तेज रफ्तार और ब्लैक फिल्म पर भी नजर-पुलिस तेज गति से वाहन चलाने वालों और ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर भी कड़ी नजर रखे हुए है। सड़क पर लापरवाही करने वालों के खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है।

सार्वजनिक स्थानों पर लगाए बैनर-लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए शहर के चौराहों, बसों, ऑटो और सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और फ्लैक्स लगाए गए हैं। डिजिटल माध्यम से भी प्रचार किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नियमों का पालन करें।

एक नजर में

युवा संगम रोजगार मेला 13 जनवरी को रामपुरा में

नीमच। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला, नीमच' का आयोजन किया जा रहा है।औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.), रामपुरा में 13 जनवरी 2026 को प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। उक्त युवा संगम में निजी क्षेत्र की विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा अलग-अलग पदों पर भर्ती की जाएगी। इस हेतु शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, बी.टेक, एमबीए एवं किसी भी विषय में स्नातक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा लगभग 18 से 35 वर्ष रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित समस्त दस्तावेज, रोजगार पंजीयन कार्ड, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य होगा। मेले में भर्ती प्रक्रिया पूर्णत: नि:शुल्क है। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8223891061 पर संपर्क किया जा सकता है।यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी श्री दिनेश परमार ने दी है।

आईटीआई रामपुरा में 13 जनवरी को अप्रेंटिस मेला

नीमच। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रामपुरा में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला 13 जनवरी 2026 को आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला (पी.एम.एन.ए.एम.) शासकीय आईटीआई रामपुरा जिला नीमच में 13 जनवरी 2026 को प्रात: 11 बजे से आयोजित किया जा रहा है।इस मेले में 10 कम्पनियां सहभागिता करेगी। मेले में 12वीं पासआउट एवं आईटीआई पासआउट अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते है। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य एच.एस.डावर मो.न.9827769729 एवं प्लेसमेंट अधिकारी अनूप सिंह मो.9039338199 से संपर्क किया जा सकता हैं।

दुग्ध समृद्धि अभियान को नई गति

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में, जिले में दुग्ध समृद्धि अभियान को नई गति प्रदान करने हेतु एनडीडीबी द्वारा सांची दुग्ध संघ उज्जैन के माध्यम से जिले की 16 सांची दुग्ध सहकारी समितियों को लगभग 6 लाख रूपये के आधुनिक दूध जांच उपकरण प्रदान किए गए है।इनमें 8 नवीन दुग्ध समितियों को 100% अनुदान और पुरानी 8 दुग्ध समितियों को 50% अनुदान पर उपकरण उपलब्ध कराए गए है। उपकरणों में दूध (परीक्षण मशीन)फैट मशीन और तोल कांटा शामिल हैं। इन आधुनिक उपकरणों के उपयोग से दुग्ध उत्पादकों और समितियों के बीच पारदर्शिता आएगी। सटीक एवं तुरंत परिणाम प्राप्त होंगे, समय एवं दूध परीक्षण के खर्च में कमी आएगी और दुग्ध प्रदायकों का विश्वास भी बढेगा।

दो पीड़ित परिवारों को आठ लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

नीमच। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा श्रीमती किरण आंजना द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग 6(4) के तहत पानी में डूबने एवं सर्पदंश से दो, पीडित परिवारों को आठ लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। एसडीएम मनासा द्वारा रूपपुरा निवासी खुशी पिता परसराम बंजारा की 10 नवम्बर 2025 को सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर मृतक की वारिस माता मेमाबाई पति परसराम बंजारा को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। इसी तरह मोकडी निवासी बिंदिया पिता राधेश्याम बंजारा की 7 अक्टूबर 2025 को कुंए में गिरने पर डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतक की निकटतम वारिस माता संताबाई पति राधेश्याम बंजारा को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। तहसीलदार कुकडेश्वर द्वारा आर्थिक सहायता के प्रकरण तैयार कर, स्वीकृति के लिए एसडीएम मनासा को प्रस्तुत किए गए थे।

नीमच मंडी में बड़ा ट्रैफिक अलर्ट, गेट 1,2,3 बंद, सिर्फ गेट 4 रहेगा खुला

नीमच। किसानों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। स्टेशन रोड से छोटीसादड़ी रोड तक रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के चलते मंडी में भारी ट्रैफिक प्रभावित होने वाला है। कृषि उपज मंडी समिति ने स्पष्ट किया है कि गेट नंबर 1, 2 और 3 अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। सभी वाहनों का आगमन और निर्गमन अब केवल किलेश्वर रोड गेट नंबर 4 से ही किया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और भारसाधक अधिकारी की मंजूरी के साथ यह कदम उठाया गया है। मंडी समिति ने व्यापार संघ के अध्यक्ष से चर्चा के बाद सभी किसानों, व्यापारी, तुलावटी और हम्मालों से सहयोग की अपील की है।

सेवा सप्ताह तहत चित्रकला एवं नशामुक्ति रैली

नीमच। रेडक्रास सोसायटी द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती 6 से 12 जनवरी 2026 तक युवा दिवस के रूप में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है।भारतीय रेडक्रास सोसायटी नीमच द्वारा 8 जनवरी 2026 को ज्ञानोदय नर्सिंग महाविद्यालय नीमच में जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता संदेश, पोस्टर पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसी कडी में 9 जनवरी 2026 को मनासा तहसील के ग्राम भाटखेड़ी के शारदा विद्या निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नशामुक्ति जन जागरूकता रैली का आयोजित की गई। रैली में विद्यालय के छात्रों ने मुख्य मार्गो पर तख्तीयां लेकर रैली निकाली। इस अवसर पर रेडक्रास सचिव डॉ.स्वप्निल वधवा ने विद्यार्थियों से नशामुक्ति पर्यावरण स्वच्छता एवं जल संरक्षण विषय पर चर्चा की और सभी को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। साथ ही ग्रामवासियों को नशा नहीं करने के लिए प्रेरित किया। रेडक्रास समन्वयक श्री सुनील तिवारी, नशामुक्ति केंद्र के मनोवैज्ञानिक श्री जीवन तिवारी एवं अध्यापकगण उपस्थित थे।

सुखानंद में कल भील समाज धर्मशाला जीर्णोद्धार समिति की बैठक आयोजित की जाएगी

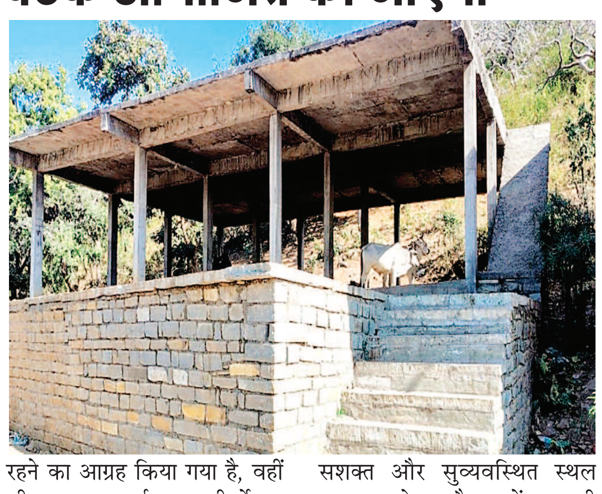

नीमच। भील समाज धर्मशाला जीर्णोद्धार समिति, सुखानंद की एक अति आवश्यक बैठक रविवार, 11 जनवरी 2026 को प्रात: 11 बजे निर्माणाधीन भील समाज धर्मशाला परिसर में आयोजित की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य धर्मशाला के निर्माण कार्यों की वर्तमान प्रगति की समीक्षा करना तथा इसे शीघ्र और समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्णय लेना है। समिति ने बताया कि समाजजनों की सामूहिक सहभागिता से निर्माण कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है, किंतु निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने के लिए सभी का सहयोग, सुझाव एवं सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह बैठक आहूत की गई है। बैठक में नीमच एवं चित्तौड़गढ़ जिले के भील समाज के पंच-पटेलों, वरिष्ठ समाजजनों, युवाओं एवं मातृशक्ति से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है, वहीं भील समाज धर्मशाला जीर्णोद्धार समिति, सुखानंद के समस्त पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। समिति का मानना है कि धर्मशाला के पूर्ण होने से समाज को सामाजिक, धार्मिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए एक सशक्त और सुव्यवस्थित स्थल उपलब्ध होगा। बैठक में आगामी कार्ययोजना, आर्थिक व्यवस्थाओं तथा निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। उक्त जानकारी समिति के मीडिया प्रभारी कारूलाल खराड़िया द्वारा दी गई।

बर्खास्त चौकीदार प्रशासन को दे रहा चुनौती

नीमच। जिले के रामपुरा में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चौकीदार की नौकरी लेने का एक मामला सामने आया है. मामले की जानकारी मिलने के बाद अनुविभाग अधिकारी द्वारा जांच के बाद चौकीदार के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया गया है. यह मामला रामपुरा तहसील कार्यालय राजस्व क्षेत्र का है।

साल 2014 में रामपुर क्षेत्र के तलाऊ के वीरान गांव मान्याखेड़ी गांव चौकीदार के पद पर नियुक्ति हुई थी. नियुक्ति के दौरान लखन बैरागी की तरफ से जमा किए गए दस्तावेज प्रमाण पत्र की जांच की गई थी, जिसमें प्रमाण पत्र फर्जी निकला. इसके बाद चौकीदार लखन बैरागी निवासी बारवड़िया को बर्खास्त कर दिया गया।

वही मजेदार बात यह भी है की सेवा से बर्खास्त होने के बाद भी बर्खास्त चौकीदार लखन बैरागी तहसील कार्यालय रामपुरा में अनावृत अपनी सेवाएं दे रहा है जबकि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय अधिकारियों के द्वारा फर्जी दस्तावेज को देखते हुए कठोर कार्रवाई करना थी जबकि वह वर्तमान में तहसील कार्यालय रामपुरा में महत्वपूर्ण बाबू के पद पर कार्यरत है।

इससे ऐसा प्रतीत होता है की तहसीलदार रामपुरा खुले तौर पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं जबकि एक बाबू जोकि चौकीदार है वह प्रशासन को चुनौती दे रहा है।

सेवा समाप्ति के बाद भी इस प्रकार तहसील कार्यालय में सेवा अनावृत जारी होना कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार का संकेत है। वहीं अगर जांच की जाए तो अन्य कहीं चौकीदार नियुक्तियां जमीन रजिस्ट्री सहित बड़े तोर पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो सकते हैं क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर ऐसे भ्रष्ट चौकीदार को तत्काल बाबू के पद से हटाने की मांग की है और फर्जी दस्तावेज के कारण प्राप्त नौकरी के कार्यकाल की वसूली की भी मांग की है क्षेत्र के लोगों ने जल्दी ही भोपाल जाकर जिले की प्रभारी मंत्री को इस संपूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराने की बात कही है।

रेलवन ऐप से अनारक्षित रेल टिकट बुक करने पर 14 जनवरी से मिलेगी 3 प्रतिशत की छूट

नीमच। भारतीय रेलवे यात्रियों को अधिक सुविधा, पारदर्शिता और तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर नवाचार कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे द्वारा संचालित रेलवन सुपर ऐप के माध्यम से अनारक्षित रेल टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत भरी सुविधा का विस्तार किया गया है। रेलवे ने निर्णय लिया है कि अब रेलवन ऐप पर अनारक्षित टिकट बुकिंग के दौरान सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों पर 3 प्रतिशत का बोनस कैशबैक/छूट प्रदान की जाएगी।

रोजाना यात्रा वालों के लिए सुविधा

नई व्यवस्था के अंतर्गत, रेलवन ऐप से अनारक्षित टिकट खरीदने पर यात्री को टिकट मूल्य का 3 प्रतिशत सीधे लाभ के रूप में प्राप्त होगा, जिससे यात्रा खर्च में वास्तविक बचत संभव होगी। रेलवे का यह कदम न केवल यात्रियों को कैशलेस लेन-देन के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को भी और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। विशेष रूप से रोज़ाना यात्रा करने वाले यात्री, उपनगरीय क्षेत्रों में सफर करने वाले लोग, छात्र, कर्मचारी और सामान्य श्रेणी के यात्री इस सुविधा से सबसे अधिक लाभान्वित होंगे।

जुलाई तक रहेगी सुविधा-रेलवे द्वारा यह सुविधा प्रायोगिक (पायलट) आधार पर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक लागू की जा रही है। इस अवधि के दौरान यात्रियों की प्रतिक्रिया और उपयोग के आधार पर भविष्य में इसे स्थायी रूप से लागू किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। अब तक रेलवन ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करते समय केवल आर-वॉलेट से भुगतान करने पर ही यात्रियों को 3 प्रतिशत बोनस का लाभ मिलता था। लेकिन यात्रियों की सुविधा और डिजिटल भुगतान को अधिक व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे ने इस लाभ को यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सहित सभी स्वीकृत डिजिटल भुगतान माध्यमों तक विस्तारित कर दिया है।

एक साल होने पर ऐप में अपडेशन-सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स द्वारा विकसित एकीकृत सुपर ऐप रेलवन का बीटा संस्करण जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। यह ऐप यात्रियों को एक ही मंच पर रेलवे से जुड़ी लगभग सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराता है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। रेल कनेक्ट या यूटीएस मोबाइल ऐप के मौजूदा उपयोगकर्ता अपने पहचान प्रमाण के साथ सीधे रेलवन ऐप में लॉग इन कर सकते हैं।

ऐप से मिलेगी ये सुविधाएं-रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट, आरक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग के साथ-साथ ट्रेन और स्टेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, रियल टाइम स्टेटस, शिकायत निवारण और यात्री सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। खासतौर पर अनारक्षित टिकट के लिए स्टेशन काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों से बचाने में यह ऐप यात्रियों के लिए पहले ही अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो चुका है। अब सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों पर 3 प्रतिशत लाभ मिलने से इसकी लोकप्रियता में और तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है।

रेलवन ऐप की प्रमुख विशेषताएं

- ट्रेन से संबंधित जानकारी, कोच पोजीशन एवं पीएनआर स्टेटस
- आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट की बुकिंग और रद्दीकरण सुविधा
- रियल टाइम ट्रेन पूछताछ एवं लाइव रनिंग स्टेटस
- ई-कैटरिंग सेवा के माध्यम से भोजन की ऑनलाइन बुकिंग
- शिकायत एवं सुझाव दर्ज करने तथा उनकी स्थिति ट्रैक करने की सुविधा

प्रभारी मंत्री भूरिया को भेंट की आईइसी किट

नीमच। महिला एवं बाल विकास तथा नीमच जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया को उनके 8 जनवरी 2026 को नीमच प्रवास के दौरान मिशन वात्सल्य एवं मिशन शक्ति सम्बंधित योजनाओं की प्रचार सामग्री की किट भेंट की गई।

इस प्रचार कीट में मिशन वात्सल्य एवं मिशन शक्ति की योजनाओं, कार्यक्रमों संबंधित टेबल कैलेंडर वर्ष 2026, मोबाइल स्टैंड विथ स्कीम लोगो, वुडन वॉच विथ स्कीम लोगो +कैलेंडर, प्लांटर विथ स्कीम लोगो तथा कॉफी मग विथ लोगो शामिल है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मबावि सुश्री अंकिता पंड्या ने बताया, कि जिले में विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु यह किट तैयार की गई है। जिले में विभिन्न अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्धजनों को उक्त आईईसी किट इसी माह भेंट की जावेगी। उक्त अवसर पर सहायक संचालक श्री वैभव बैरागी एवं विभागीय कर्मचारी उपस्थित थे।

फिटनेस और बीमा कराए बिना नहीं चलेंगे सरकारी वाहन, सख्त आदेश जारी

▸ **सरकारी वाहनों को लेकर परिवहन विभाग का आदेश**

नीमच। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कामकाज के इस्तेमाल में आने वाले वाहनों की सुरक्षा और वैधानिकता को लेकर बड़ा फैसला लिया है। परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय विभागों, निगमों और निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि, अब से बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन को किराए पर या अनुबंध पर चलाना प्रतिबंदित रहेगा। विभाग का ये फैसला सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में पीड़ितों को समय पर कानूनी सहायता और आर्थिक क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, अब किसी भी विभाग द्वारा सीधे या निजी एजेंसियों के जरिए अनुबंधित किए जाने वाले सभी मालवाहक और यात्री वाहनों के पास वैध बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और मोटरयान कर की रसीद होना जरूरी है। ये दस्तावेज न सिर्फ अनुबंध के समय होना जरूरी है, बल्कि वाहन के इस्तेमाल की पूरी अवधि तक वैध होना लाजमी है। विभागों को सख्त हिदायत दी गई है कि, वाहनों के बिलों का भुगतान करने से पहले संबंधित अधिकारी इन दस्तावेजों की नियमित जांच सुनिश्चित करेंगे।

नियमों का करना होगा पूरी तरह पालन

सरकार ने खनिज एवं अन्य सामग्रियों के परिवहन में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी स्थिति में वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक परिवहन (ओवरलोडिंग) की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, अनुबंध पर चलने वाले वाहनों के लिए नियमानुसार मोटरयान कर का भुगतान करना भी जरूरी है, जिससे सरकार के राजस्व को क्षति न पहुंचे। नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर परिवहन विभाग ने मार्गदर्शन की व्यवस्था भी की है।

एक नजर ▸ जिले की 45 गौशालाओं में मिला है 8244 निराश्रित गौवंश को आश्रय

जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है गौशालाओं में नवाचार

नीमच। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की मंशानुसार प्रदेश का दुग्ध उत्पादन दो गुना करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस लक्ष्य को हांसिल करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राज्य के बाहर से दुधारू पशुओं के उत्प्रेरण के साथ-साथ नस्ल सुधार के लिए हिरण्यगर्भा अभियान', पशु पौषण, पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन जागरूकता के लिए 'दुग्ध समृद्धि सम्पर्क अभियान' दुग्ध उत्पादन बढावा देने एंव उन्हें आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु 'क्षीर धारा अभियान' तथा उच्च नस्ल के पशुपालको को एक मंच प्रदान करने के लिए 'ब्रीडर प्रकोष्ठ' का गठन आदि कार्य किए जा रहे हैं।

नीमच जिले में 45 गौशालाओं में 8244 निराश्रित गौवंश को संरक्षण दिया गया हैं। गौशालाओं को स्वावलम्बी बनाने, नस्ल सुधार के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढाने के विशेष प्रयास किए जा रहे है।

कलेक्टर हिमांशु चन्द्रा के निर्देशन में नीमच जिले की 10 गौशालाओं में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने, पशुओं में नस्ल सुधार के लिए नवाचार किए जा रहे है।इसके तहत प्रथम चरण में प्रत्येक चयनित गौशालाओं में दो माह पूर्व 20 स्वस्थ्य गोवंश का चयन कर उनके जननांगो का परिक्षण किया गया है। फिर पेट के कीडे की दवाई दी गई तथा उन्हें पशु आहार के साथ मिनरल खिलाया जा रहा है। जिले में 18 एवं 19 जनवरी को पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया जायेगा। उप संचालक डॉ.राजेश पाटीदार ने बताया, कि जिले की गौशालाओं में प्रदेश का पहला नवाचार है, जिससे उन्नत नस्ल की बछियाएँ पैदा होगी और गौशालाओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ने से आत्मनिर्भर बनेगी।